

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-5) विभाग

क्रमांक प. 9(16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक 29-6-2020


आदेश

राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्या 01) की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 के द्वारा प्रदत्त निम्न निर्देश,

- “3. अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए होम क्वारनटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारनटीन करना संभव नहीं है, उनको जिला प्रशासन द्वारा स्थापित क्वारनटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम हो, में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जायेगा। इन सब की समय-समय पर चिकित्सा दल द्वारा जाँच की जायेगी। “


को तुरन्त प्रभावसे विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(राजीव स्वरूप)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि (संहिताकरण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज।
9. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, राजस्थान।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर, राजस्थान।
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार करने हेतु।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



(पी.सी.बेरवाल)

विशिष्ठ शासन सचिव।